# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

**किस्म मुकदमा**— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 27/2021**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

**दिनांक 24.08.2021**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2021/670—671 दिनांक 30.07. 2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2021 सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 09.06.2021 व इस अनुभाग को 09.06.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या 01 से 07 तक की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसके संबंध में बिन्दु संख्या 02 से 07 तक की सूचना इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग की होने से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग को लिखा गया जिसकी पालना में प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग द्वारा जो सूचना उनके अनुभाग के अथीलेख पर उपलब्ध थी वह प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पत्रांक 568 दिनांक 25.06.2021 से उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। प्रार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 01 की सूचना हेतु कार्यालय के प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग को लिखा गया किन्तु वांछित सूचना जिले के समस्त लोक सूचना अधिकारी तहसीलदारगण के कार्यालय की होने से उनके द्वारा जरिये पत्रांक 488—97 दिनांक 11.06.2021 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन दिनांक 01.06.2021 के बिन्दु संख्या 02 से 07 तक की कार्यालय के अनुभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार वही सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं। जो पहले से अभिलेखों में उपलब्ध हो, इस कार्यालय के पास अभिलेख पर जो सूचना थी वह प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना प्रेषित की जा चुकि हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की

रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार बिन्दु संख्या 01 की सूचना हेतु कार्यालय के प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग को लिखा गया किन्तु वांछित सूचना जिले के समस्त लोक सूचना अधिकारी तहसीलदारगण के कार्यालय की होने व बिन्दु संख्या 02 से 07 तक की कार्यालय के अनुभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार वही सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं। जो पहले से अभिलेखों में उपलब्ध हो, इस कार्यालय के पास अभिलेख पर जो सूचना थी वह प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना प्रेषित किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द